

पत्रांक-श्रम कंस०-35/2025(अंश क)-790

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समितिआदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 02 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 60,000/- (साठ हजार रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 10 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए) तथा दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 4,00,000 /- (चार लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 9,60,000 /- (नौ लाख साठ हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

14 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०.	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विश्वनाथ महतो, 64, मंगर महतो, अनु० जाति	लक्ष्मीनि या देवी (पत्नी) 559834 66 5322	73. 08. 01. 2026	ग्रा०-सरमस्तपुर, पो०-चन्दनपट्टी, थाना+प्र०-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर मो०-9955245074	3050 0017 0021 4737	PNB, PUNBO 305000	50,000 / - (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ठेला चालक
2	स्व० लालबिहारी राम, 57, शनिचर राम, अनु० जाति	सुकेश कुमार (पुत्र) 863104 54 5672	76. 08. 01. 2026	ग्रा०-नाजीरपुर, पो०-कौटा पिरौछा, थाना+प्र०-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर मो०-9931503931	3843 5434 794	SBI, SBIN00 08393	30,000 / - (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
3	स्व० अमोद पासवान, 40, सोनेलाल पासवान, अनु० जाति	चंदा देवी (पत्नी) 326217 92 0591	77. 08. 01. 2026	ग्रा०-मूसाचक, पो०-राघोपुर, थाना+प्र०-मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर मो०-8235142171	4538 8100 0140 42	BOB, BARBO MUSTA F	50,000 / - (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ठेला चालक
4	स्व० सरोज कुमार, 28, महेश राम, अनु० जाति	महेश राम (पिता) 324535 08 4696	81. 08. 01. 2026	ग्रा०-मझौलिया, पो०-ब्रह्मण्डा, थाना-रामपुर हरि, प्र०-मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर मो०-8878044085	0807 0102 8687 9	PNB, PUNBO 080720	30,000 / - (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, टेम्पु चालक
5	स्व० नागेश्वर राम, 64, सटहू राम, अनु० जाति	बिन्देश्वर देवी (पत्नी) 615086 65 7689	203. 19. 01. 2026	ग्रा०-दामोदरपुर, पो०-शेखपुर, थाना-अहियापुर, प्र०-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर मो०-6205465535	4664 1011 0018 306	BOI, BKID00 04664	50,000 / - (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

(පාසුන්ගේ සහතිකයක් ලෙස)

- / 000'09'6 ටොනල්

[illegible]

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम कंसं- 35/2025(अंश क)-790 पटना, दिनांक :- 15/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल:-
रु० 9,60,000 /- (नौ लाख साठ हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

16/06/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 16-06-2026 14:50:35
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajan Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक